

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

रु.10



TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

36AE 664146

जनरल स्टाम्प पेपर...
...
जिला...
...के साथ चलान है।



सहायक रजिस्ट्रार
...
...

संसोधित स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम
2. संस्था का पता
3. संस्था का कार्यस्थल
4. संस्था का विजन

बाबा राम करन दास ग्रामीण विकास समिति
सिक्टौर बाजार, मानीराम, गोरखपुर-273007 उत्तर प्रदेश

: सम्पूर्ण भारत वर्ष

हम एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जो समानता
आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय एवं सबका जीवन सुखमय हो।

5. संस्था का मिशन

उत्तम समुदायिक स्वास्थ्य की उपलब्धता हेतु प्रभावी पहल के साथ
आजीविका विकास हेतु संगठनात्मक क्षमता -वर्धन

6. संस्था का उद्देश्य

1.

संस्था का उद्देश्य समाज को प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हिंदी संस्कृत व अंग्रेजी शिक्षा के लिए विभिन्न बर्गों के लिए प्राइमरी, जू0हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, एवं उच्च स्तर तक, सामान्य व तकनीकी की शिक्षा का प्रबन्ध करना जिसमें भारतीय स्वावलम्बन एवं स्वदेश प्रेम की भावना उत्पन्न हो सके। विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थापना करना।

2.

समाज के बेरोजगार युवक, युवतियों, पुरुष व महिलाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान करना।

विद्यार्थियों व कर्मियों, महिलाओं के लिए छात्रावास की स्थापना करना व उनका संचालन करना।

शिक्षा की सुविधा प्रदान कर बालक एवं बालिकाओं को सचरित्र नागरिक बनाना व संस्था हेतु सीपीई/सीबीआई बोर्ड/आईसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त कर उसी पैटर्न पर अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम के विद्यालयों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।

बालिकाओं एवं समाज के सभी वर्गों को शिक्षा से जोड़ने के लिए इण्टर कालेज, जूनियर विद्यालय, एवं तकनीकी विद्यालयों के साथ विश्वविद्यालय, कृषि एवं तकनीकी विद्यालयों की स्थापना करना।

6.

शिक्षा के साथ-साथ, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, मोबाइल रिपैरिंग, टाइपिंग, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मेन्टिंग, संगीत, नृत्य, ब्यूटीशियन, फल संरक्षण, लेदर/रेक्सीन कला, गृह सज्जा, आचार मुरब्बा, जेम-जेली, माचिस, पत्तल, अगरबत्ती, मोमबत्ती, मसाला, जैसे रोजगार की जानकारी देकर बालक, बालिकाओं को स्वावलम्बी बनाना एवं जीवनोपयोगी वस्तुओं की जानकारी हेतु प्रशिक्षण, रोजगार प्राप्ति के लिए रोजगार परक प्रशिक्षण शिवरों सरकारी/गैर सरकारी सहयोग से क्रियान्वयन करना।

7.

सभी वर्गों, जाति, धर्म, के लोगों को बिना भेदभाव किये रोजगार परक शिक्षा देने हेतु आई0टी0आई0, पालीटेक्निक, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पैरामेडिकल एवं अन्य तकनीकी व उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना व संचालन करना।

सहायक रजिस्ट्रार
फन, मोसाइटीव एव विट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)
09-22071

8. पर्यावरण, वृक्षारोपण, प्रदूषण, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, साक्षरता मिशन, कार्यक्रमों का प्रचार व प्रसार करना, स्वयं सहायता समूहों का गठन करना व इसके बारे में जानकारी देना।
9. आदिवासियों, पिछड़े वर्गों गरीबों, कारीगरों, शिल्पियों, महिलाओं, बच्चों विकलांगों का उत्थान करना उन्हें विकसित करना। इसके लिए विभिन्न कार्यक्रमों को संगठित करना तथा वे समस्त कार्य करना जिससे इनका अधिक से अधिक हित हो।
10. प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना, बाढ़, सूखा तथा युद्ध के समय राहत कार्य करना ~~इनके स्थान पर~~ निराकरण का उपाय करना तथा इस विषय में अध्ययन शिक्षण/प्रशिक्षण व शोध की व्यवस्था करना वे समस्त कार्य करना जिससे इनका निराकरण व रोकथाम हो सकें।
11. नशाखोरी, साम्प्रदायिकता एवं युद्ध की विभीषिका के प्रति जनचेतना को जागृत करना। इसके लिए जनसामान्य को शिक्षित/प्रशिक्षित करना वे समस्त कार्य करना जिससे इनकी विभीषिका से समाज को बताया जा सके।
12. अनुपयोगी भूमि, वन, पर्यावरण, कृषि, बागवानी, कृषि वानिकी व उद्यान विकास कार्यों को बढ़ावा देना तथा इनके अध्ययन शिक्षण/प्रशिक्षण व शोध की व्यवस्था करना और वे समस्त कार्य करना जिससे इनका अधिक से अधिक विकास व प्रचार-प्रसार हो सकें।
13. विधि, विज्ञान, साहित्य, कला, खेल-कूद, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, वाचनालयों, अभिव्यक्ति के माध्यमों को विकसित करना। इनसे सम्बंधित विभिन्न कार्यक्रमों को संयोजित करना एवं उसे सुचारुस्थिति करना तथा वे समस्त कार्य करना जिससे वे जन सामान्य के लिए अधिक से अधिक उपयोगी हो सकें।
14. ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की आर्थिक औद्योगिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, यांत्रिकी, शैक्षणिक व सामाजिक विकास करना। इसके लिए विभिन्न कार्यक्रमों तथा इकाईयों को संगठित-संचालित एवं स्थापित करना।
15. संदेश की पूर्ति के लिए विभिन्न वित्तीय तथा गैर वित्तीय संस्थाओं, सरकारों, राष्ट्रों तथा व्यक्तियों से ऋण, चल एवं अचल सम्पत्ति का सहयोग प्राप्त करना। व बैंक की सभी योजनाओं के लिए अभियान चलाकर प्रशिक्षित कराना। अन्य किसी प्रकार के वित्तीय या गैर वित्तीय सहयोग से कार्य करना जो उचित एवं वैध हो।
16. समाज के पिछड़े एवं दलित वर्ग के लोगों को साक्षर बनाने के लिए प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हिन्दी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी तथा भारतीय प्रादेशिक भाषा के विभिन्न पाठ्यक्रम के प्रौढ़ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा, एवं प्राथमिक स्तर से लेकर जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टर, डिग्री व पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करना एवं संचालन करना।
17. समाज के बीमार व असहाय लोगों को चिकित्सीय सुविधा प्रदान कराना, उनके स्वास्थ्य की जांच कराना, तथा जगह-जगह पर मेडिकल कैम्प लगाकर दवाईयों का निःशुल्क वितरण कराना।
18. समाज के पिछड़े शोषित व निर्बल वर्ग के लोगों के उत्थान हेतु कम्प्यूटर शिक्षा एवं उपयोगी ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना तथा सामान्य जन में चेतना जागृत करना सर्वांगीण विकास के लिए पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना करना।

सहायक रजिस्ट्रार
जन. मो. प्रो. एन. वि. प्र.
मुंबई (20. 10. 201)

19. समाज में व्यवसाय परक कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रकार के शिक्षा सम्बन्धी एवं विज्ञान से मैनेजमेंट, कम्प्यूटर शिक्षा (सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर) सम्बन्धी सभी आवश्यक कालेजों की स्थापना करना।
20. सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन एवं सांस्कृतिक प्रदूषण के विरुद्ध जनमानस तैयार करना।
21. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति सद्भाव कार्यक्रम करने का प्रयास करना।
22. अनाथालय, वृद्धाश्रम, महिला संरक्षण गृह, छात्रावास, कुष्ठ सेवाश्रम, टी0बी0 अस्पताल आदि जैसे संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन करना।
23. नारी अत्याचार, (दहेज, यौन प्रहार, यौन शोषण, महिला हिंसा, जैडर गत भेदभाव तथा बालश्रम के विरुद्ध चेतना जागृत करना एवं न्याय दिलाना तथा सामाजिक पैरोकारी के लिए प्रेरित करना।
24. शिक्षण संस्थाओं में वाद-विवाद सेमिनार, गोष्ठियों, पुस्तकालय, वाचनालय प्रौढ़ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षण कार्यक्रम चलाना।
25. दलित असहाय तथा निर्धन वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकारी/गैरसरकारी कार्यक्रमों का संचालन करना।
26. असहाय व्यक्ति, लाइलाज रोगियों (कुष्ठ, एड्स, टी0बी0, पोलियो आदि) की सहायता एवं उपचार करना तथा इसके बारे में चेतना जागृत करना।
27. विकलांग, मूक, कर्बु, दृष्टिहीन की सहायता करना तथा उन्हें शिक्षित करने हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन करना।
28. सरकार की नीतियों को पिछड़े तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वर्गों में प्रचार करना तथा उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर स्वालम्बन की दिशा में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना।
29. विशेष पिकास योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिये योजना प्रदर्शनी मेले आदि का आयोजन करना तथा बेरोजगारी दूर करने के लिए उद्यमिता प्रशिक्षण शिवरों का आयोजन करना।
30. कुटीर उद्योगों, लघु ग्रामोद्योग एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण शिवरों का आयोजन तथा स्थापना करके बेरोजगारों को स्वालम्बी बनाना।
30. वृक्षारोपण एवं पर्यावरण जागरूकता के कार्यक्रम चलाना।
31. वायोकेमिक, औषधीय एवं वानिकीय तथा अन्य प्रकार के रासायनिक एवं औषधीय उपयोग किए गए वृक्षों का उत्पादन, विपणन एवं इससे सम्बन्धित सेवाएं प्रदान करना।
32. भूमि संरक्षण, भूमि एवं जल संस्थान विकास एवं जलगम प्रबंध करना।
33. जल संग्रहण क्षेत्र में कृषि योग्य एवं अयोग्य भूमि का उपचार तथा अधिकतम पैदावार सुनिश्चित करना एवं सम्पूर्ण विकास हेतु कृषि की उत्पाद क्षमता तथा रोजगार सृजन की दिशा में ग्रामीण व्यवसाय केन्द्र की स्थापना सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छ जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सेवाओं का कार्यनीति बनाना तथा कियान्वित करना।
34. स्पेशल ग्रीन कोर, पर्यावरण व वन मंत्रालय तथा क्षेत्रीय सन्दर्भ एजेंसियों राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल जीवन मिशन आदि के समन्वय से पेयजल एवं स्वच्छता स्वजलधारा, हरियाली कार्यक्रम के

महायक, राजस्थान

कमल मातादटी एवं चिदस
जोधपुर (30 50)

35. पंचायती राज प्रतिविधियों एवं अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य के प्रति सचेदित करना तथा पंचायती राज को ग्राम स्तर पर प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य के कार्यक्रम स्वीय बनाना एवं चलाने हेतु सशक्त करना।

37. केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, जनशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय श्रम संस्थान तथा इससे सम्बन्धित विभागों के कार्यक्रमों में सहभागिता एवं संचालन करना।

39. खादी कमीशन, खादीग्रामोद्योग बोर्ड के गतिविधियों/कार्यक्रमों का संचालन करना, केन्द्र स्थापित करना खादी का उत्पादन करना।

41. परिवार कल्याण कार्यक्रमों एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों को गाँव में व्यापक स्तर पर निःशुल्क संचालित करना, टीकाकरण करना, पल्स पोलियो, हैपेटाइटिस, फाईलेरिया, मलेरिया, टी0वी0, एड्स, इसेफेलाटिस, कुष्ठ, व अन्य क्षेत्रिय बीमारियों के रोक थाम के लिए प्रचार-प्रसार व जानकारी देना तथा निःशुल्क दवाओं का वितरण करना तथा इनसे सम्बन्धित देशीय-विदेशी संस्थाओं, विभागों के द्वारा संचालित कार्यक्रमों में सहभागिता एवं नियन्त्रण करना।

43. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय, युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा उ० प्र० सरकार, भारत सरकार व राज्यों व सरकारों और विदेशी संगठनों द्वारा एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी देना तथा उनके कार्यक्रमों को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करना।

45. भारत सरकार व उ०प्र० सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा सरकारी व गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार व क्रियान्वयन।

- सहायक रजिस्ट्रार
पब्लिक सोसाइटीज एंड विद्वत्
बैरुगुड (टा. पब.)